P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11* February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

# भारत में मॉब लिचिंग के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानः राजस्थान सरकार के विशेष संदर्भ में एक संक्षिप्त अध्ययन

**ज्योति मेहरा**
शोध छात्रा,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
रा. ऋ. भृर्तहरि मत्स्य
विश्वविद्यालय, अलवर,
राजस्थान, भारत

**सारांश**

आज का भारत वह भारज है जो अपनी सदियों पुरानी सभ्यता के लिए जाना जाता है। भारत महान बना भारतीयों के बलिदानों और उनके अभूतपूर्व साहस से, 250 से अधिक वर्षों तक हम गुलाम रहे। भारतीयों ने अंग्रेजों का सामना किया, गांधीजी के प्रतिनिधित्व द्वारा अहिंसा पूर्वक तरीके से तथा आजादी प्राप्त की। आज जो हम करते हैं वही कल होगा वर्तमान की नींव पर भविष्य खड़ा होता है। हम आने वाले कल में वर्तमान के द्वार से ही प्रवेश करते हैं इसलिए कल के लिए वर्तमान का महत्व या भूमिका बहुत बड़ी होती है। यही बात हमारे देश भारत के लिए भी लागू होती है कि आज जो भारत है वह कल का भारत होगा। लेकिन हमारा आज का भारत कल का भारत है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं जो सभ्यता अपनी विश्वविख्यात सभ्यता के लिए जानी जाती रही है उसके मूल्यों का पतन हो रहा है। भारतीय समाज में आज दुष्कर्म, भ्रूण हत्या, तीन तलाक, मॉब लिंचिंग जैसी समस्याओं के कारण हमारे मूल्यों का पतन दिन–ब–दिन होता जा रहा है। भारतीय समाज एक सभ्य समाज के रूप में जाना जाता रहा है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समूहों में रहना हमेशा से मानव की एक प्रमुख विशेषता रही है जिससे जो उसे सुरक्षा का अहसास कराती है। लेकिन आज जिस तरह से समूह एक उन्मादी भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं उससे हमारे भीतर सुरक्षा कम डर की भावना बढ़ती जा रही है। भीड़ अपने लिए एक अलग ही किस्म के तंत्र का निर्माण कर रही है जिसे आसान भाषा में हम भीड़ तंत्र भी कह सकते हैं। भीड के हाथों हो रही हत्या देश में चिंता का विषय बनती जा रही है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति हिंसक भीड़ का शिकार हो रहा है। भारत में भीड़ तंत्र (मॉब लिंचिंग) हेतु कोई वैधानिक कानून का प्रावधान नहीं है। इससे संबंधित हत्या के लिए संवैधानिक प्रावधान है परंतु मॉब लिंचिंग हेतु कोई प्रावधान अब तक भारत में नहीं बना है। अगर मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कोई कठोर कानून नहीं बनता है तो समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। जो हमारे सामाजिक व नैतिक मूल्यों को पतन की ओर ले जाएगा, इसलिए मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं अति चिंतनीय विषय है। इसके लिए कठोर कानून की आवश्यकता आज हमारे देश को है तभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकी जा सकती हैं।

**मुख्य शब्द :** मॉब लिंचिंग, भीड़ हत्या, बाल यौन अपराध, भ्रूण हत्या, लव जिहाद, रकबर प्रकरण, पहलू खाँ प्रकरण, संवैधानिक, अफवाह।

**प्रस्तावना**

21 वीं सदी का भारत आज जिन ऊँचाइयों को छू रहा है वह अति प्रशंसनीय है। आज भारत ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति कर ली हैं तथा यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का गुणगान विश्व में हर जगह है क्योंकि 250 वर्षों तक जिस देश ने गुलामी की जंजीरों में अपने आप को पाया वही भारत आज स्वतंत्र होकर नई–नई ऊँचाइयों को छू रहा है। परंतु हमारे भारतीय समाज में कुछ घटनाएं हमारे देश की सभ्यता और मूल्यों को गिराने वाली हैं जिनके लिए हमें शर्म महसूस होती है। आज आए दिन समाचार पत्रों में भ्रूण हत्या, बाल दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को हम देखते हैं। भारत के हर राज्य में प्रत्येक दिन किसी न किसी महिला या बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। कोई न कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है। यह सब भारतीय समाज के लिए अशोभनीय है। दुष्कर्म हेतु संविधान में कठोर कानून बनाया गया है परंतु भीड़तंत्र (मॉब लिंचिंग) के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रत्यक्ष काननू नहीं बनाया गया है। जिसके चलते आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो देश के

लिए चिंता का विषय है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। समाज के प्रति प्रत्येक मानव की कुछ जिम्मेदारियां हैं तथा समाज में एक साथ रहकर ही समाज उन्नति कर सकता है और समाज उन्नति करता है तभी देश उन्नति करता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि मनुष्य समाज में समूह में रहते हैं लेकिन आज जिस तरह से समूह एक उन्मादी भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं उससे हमारे भीतर सुरक्षा कम बल्कि डर की भावना बढ़ती जा रही है। भीड़ अपने लिए एक अलग किस्म के तंत्र का निर्माण कर रही है जिसे आसान भाषा में हम भीड़ तंत्र भी कह सकते हैं। भीड़ के हाथों लगातार हो रही हत्याऐं देश में चिंता का विषय बनती जा रही हैं। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है। इन घटनाओं को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है वह है कठोर काननू की व्यवस्था जो हमारे भारत देश में अब तक नहीं है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

प्रस्तुत लेख में मैंने समसामयिक बढ़ती मॉब–लिंचिंग की समस्या का वर्णन किया है। वर्तमान में मॉब–लिंचिंग की समस्या एक प्रबल समस्या है जो देश में बढ़ती ही जा रही है। मेरा इस विषय पर अध्ययन करने का उद्देश्य यहीं हैं कि भारत–सरकार मॉब–लिंचिंग के विरुद्ध वैधानिक कानून का निर्माण करें ताकि मॉब–लिंचिंग की घटनाओं को रोका जा सके।

**मॉब लिंचिंग क्या है**

लिंचिंग एक तरह की उग्र हिंसा है जिसमें बिना किसी प्रकार की कानूनी जांच प्रक्रिया के न्याय करने में विश्वास रखा जाता है। इसमें आरोपित व्यक्ति को कोई मानव अधिकार नहीं दिए जाते, उसे एक अपराधी के रुप में सजा दी जाती है जो कि अत्यंत कष्टदायक तथा यातनापूर्ण होती है। इसके तहत अपराधी के अंग भंग कर उसे विकृत कर दिया जाता है इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में दर्द के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

लिंच कानून के तहत यह एक स्वनिर्मित अदालत होती है जिसमें बिना किसी कानूनी कार्यवाही के व्यक्ति को अपराधी मानकर उसे सजा दी जाती है जब कभी यह हिंसा उग्र भीड़ अथवा किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा की जाती है तब इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है।

**भारत में मॉब लिंचिंग का इतिहास व समसामयिक घटनाएं**

दुनिया के बड़े–बड़े आंदोलन जनसमूह के बलबूते ही खड़े हुए हैं। कभी उस समूह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया तो कभी हिटलर ने, दोनों के ही तरीकों ने दुनिया का नक्ष बदल दिया और तात्कालिक समाज को सोचने पर मजबूर किया कि शांति और युद्ध में से किसे चुनना चाहिए। मॉब लिंचिंग का इतिहास बहुत पुराना है यह आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से हो रही है विश्व के कई देशों में क्रांतियां हुई जैसे 1789 की फ्रांस क्रांति और 1917 को रुसी क्रांति। इसको प्रभावित करने वाली भीड़ ही थी। अगस्त 1901 में तीन अफ्रीकी अमेरिकियों को दी गई मौत की सजा के बाद मार्क ट्वेन ने अमेरिकियों पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाते हुए "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लिंचरडम" का प्रसिद्ध लेख लिखा था।

ऐसा ही एक भयानक खतरा तेजी से हिंदुस्तान में भी उभरा है। "मॉब लिंचिंग यानी उन्मादी भीड़ द्वारा किसी पर हमला" हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या अब हमारे देश में भीड़ तंत्र की अराजकता कायम हो रही है। कभी गाय को बचाने के नाम पर अलवर (राजस्थान) में पहलूं खां और रकबर खान जिसकी मौत देवासर पुलिस हिरासत में हुई को मार दिया जाता है तो कभी गौ मांस के इल्जाम में नोएडा में मोहम्मद अखलाक की मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी लव जिहाद तो कभी सोशल मीडिया पर बच्चा चोरों की अफवाह के चलते भीड़ "फैसला ऑन द स्पॉट" की तर्ज पर न्याय करने पर उतारु हो रही है।

परंतु अगर हम सब यह सोचते है कि भारत के कुछ हिस्सों में ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है तो यह हमारी अज्ञानता ही होगी। क्योंकि आज भारत देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं भारत के सिर्फ कुछ हिस्सों में नहीं अपितु भारत के प्रत्येक राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है और यह निरंतर बढ़ रही हैं।

**मॉब लिंचिंग के कुछ प्रमुख समसामयिक घटनाएं**

**महाराष्ट्र**

मॉब लिंचिंग की सबसे बड़ी घटना भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई 1 जुलाई 2018 को दूल्हे के रैनपाड़ा गांव में भिड़ने 5 लोगों को पीट–पीटकर हत्या कर दी। इन लोगों पर बच्चा चोर होने का आरोप लगाया गया।

**असम**

9 जून 2018 को असम के गांव लॉन्ग जिले के एक दूरवर्ती इलाके में सोशल मीडिया पर फैलाई गई बच्चा चोर गैंग की अफवाह के बाद भीड़ द्वारा दो युवकों की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई।

**वेल्लोर**

वेल्लोर जिले में 28 अप्रैल 2018 को एक हिंदी भाषी मजदूर को बच्चा चोर होने के शक में पीट–पीटकर मार डाला, तो चेन्नई क तेनमपट्ट इलाके में जून 2018 में स्थानीय लोगों ने 2 प्रवासी मजदूरों को बच्चा चोर होने के संदेह में बुरी तरह पीटा।

**कर्नाटक**

15 जून 2018 को कर्नाटक के बीदर जिले के मरकी में व्हाट्सएप पर बच्चा चोर होने के संदेह में बुरी तरह पीटा।

**पश्चिम बंगाल**

24 जुलाई 2018 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भीड़ ने बच्चा चोर होने के संदेह में 4 महिलाओं से कथित तौर पर मारपीट की और उनमें से दो निर्वस्त्र कर दिया। एक ही महीने में ऐसी 2 घटनाएं हुई।

**हरियाणा**

2017 में ही हरियाणा के बल्लभगढ़ में 16 साल के जुनैद की ट्रैन में सीट को लेकर हुए एक मामूली विवाद में हत्या कर दी गई।

**कश्मीर**

22 जून 2017 को सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद अयूब पंडित को स्थानीय लोगों ने निःवस्त्र कर पीट–पीटकर इसलिए मार डाला क्योंकि वह मस्जिद के बाहर लोगों की तस्वीर खींच रहे थे।

**राजस्थान में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएं**

भारत के राजस्थान राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह वाले संदेशों के द्वारा समूह द्वारा किसी भी बेगुनाह को निर्मम तरीके से पीट–पीटकर मार दिया जाता है।

**अलवर जिला**

गौ मांस बेचने के संदर्भ में अलवर जिले के गांव में रकबर खांन नामक व्यक्ति की हत्या 2017 में लोगों द्वारा पीट–पीटकर कर दी गई।

**बाड़मेर जिला** :

21 जुलाई 2018 को पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले में खेताराम भील की एक मुस्लिम महिला से अवैध संबंधों के आरोप में कथित रूप से 12 लोगों ने पीट–पीटकर हत्या कर दी।

**प्रतापगढ़ जिला**

16 जून 2017 को राजस्थान के प्रतापगढ़ में सरकारी म्युनिसिपल काउंसिल कर्मियों ने एक मुसलमान कार्यकर्ता जफर हसन की लात घुसों से पीट–पीटकर हत्या कर दी। जफर ने अधिकारियों को खुले में सोच कर रही महिलाओं की तस्वीर खींचने से रोका था।

**अलवर का बहरोड़**

बहरोड़ के पहलू खान को भीड़ द्वारा गौ मांस बेचने के संदर्भ में 2017 में पीट–पीटकर मार डाला।

**राजसमंद**

राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में जुलाई 2019 को उपली ओडन गांव में एक आदिवासी महिला का अर्धनग्न कर भीड़ ने पूरे गांव में घुमाया और पीटा। पीड़ित महिला पर उसके बेटे द्वारा किसी युवती को भागने का आरोप लगाकर ऐसा किया गया ।

**राजसमंद का थुरावर कांड**

3 नवंबर 2014 को राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ की थुरावड़ बस्ती में पूरे गांव के लोगों ने एक महिला पर हत्या का आरोप लगाया तथा उसे अर्धनग्न कर पूरे गांव में गधे पर बैठकर घुमाया।

**अलवर का भिवाड़ी क्षेत्र**

चोपानकी के एक व्यक्ति हरीश को जुलाई 2019 में भीड द्वार पीट–पीटकर मार डाला गया।

उपर्युक्त घटनाओं के अलावा और भी ऐसे ही घटनाएं हैं जिनके कारण बेकसूर व्यक्ति भीड़ की अराजकता का शिकार हो रहे हैं।

**इसे रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा–निर्देश दिए गए हैं जे इस प्रकार है–**

2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में भीड़ द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं की निंदा की और केंद्र तथा राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश जारी किए। साथ ही संसद को इस संदर्भ में कड़ा कानून बनाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के मसले पर केद्रं एवं राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पिछले काफी समय से 35 लोगों की हिंसक भीड़ द्वारा हत्या की जा चुकी है। जबकि पिछले साल में जुलाई तक व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों के चलते 28 लोग हिंसक भीड़ का शिकार होकर अपनी जान गवा चुके हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने केद्रं सरकार व राज्य सरकार को मॉब लिंचिंग के विरुद्ध सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि "कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकता है। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती।" साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया कि वह संविधान के मुताबिक काम करें। न्यायालय ने सरकार को इन बढ़ती घटनाओं की अनदेखी नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि राज्यों की शांति बनाए रखने की जरुरत है। इन घटनाओं के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडनीय उपायों को निर्धारित किया गया है। इससे जुड़े अन्य सुझाव में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर पुलिस अधीक्षक स्तर के जांच अधिकारियों की नियुक्ति जैसे कदम भी शामिल है।

इस दिशा निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण संदेश तथा वीडियो इत्यादि को लेकर भी निगरानी करने का निर्देश सरकार को दिया है।

**मॉब लिंचिंग के कारण क्या है–**

**गलत अफवाह**

जब भारत सरकार ने 26 मई 2017 को 'प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स' कानून के तहत देश में मांस के लिए चौपाया जानवरों की खरीद–फरोख्त पर रोक लगाई। उसी समय पूरे देश में गाय हत्या के प्रति सजगता का माहौल फैल गया। जिसके बाद जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस रोक को हटा दिया गया। इससे चमड़ा तथा गाय के मांस के उत्पाद बनाने वाली करोड़ों रुपए के टर्नओवर प्रतिवर्ष कमाने वाली कंपनियों को राहत मिली। इससे लोगों में उल्टा रोष फैल गया। कई राज्य जहां पर मुस्लिम लोग निवास करते है तथा गाय मांस उनके प्रमुख भोजनों में से एक है। उन लोगों पर भीड़ द्वारा हमले करने के मामले बढ़ने लगे जैसे मॉब लिंचिंग के मामलों में करीब एक दर्जन मासूम लोगों की हत्या कर दी गई।

**राजनीतिक वर्ग की खामोशी**

मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों के बावजूद राजनीतिक वर्ग तथा प्रशासक वर्ग मूक दर्शक बने रहे है। अधिकांश मानवाधिकार से जुड़े लोगों का मानना है कि भीड़ द्वारा बढ़ते अपराधों के मामले में राजनीतिक वर्ग का भी हाथ है और यही इसकी चुप्पी की वजह भी है।

इसके अलावा उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन कर के ही सत्ता हासिल की है उनके इस व्यवहार से भीड़ स्वयं को स्वामी समझने लगी है तथा

स्वयं को किसी भी प्रकार के नियंत्रण से बाहर मानने लगी है।

**बच्चा चोरी का आरोप**

बच्चा चोरी का आरोप मॉब लिंचिंग को भड़काने का शुरुआती कारक है। इसके कारण कई मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्तियों तथा अस्पतालों में काम करने वाले मजदूरों तथा नर्सों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ समय में 10 राज्यों में कम से कम 30 लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप के कारण भीड़ के हाथों से अपनी जान गवाई है।

**उचित काननू व्यवस्था का अभाव**

बच्चा चोरी के आरोप में लोगों द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या यह साफ दर्शाती है कि जनता को न हीं कानून न ही पुलिस पर कोई भरोसा रह गया है। आम जनता का यह मानना है कि बच्चा चोरी के अधिकांश मामलों में पुलिस लापरवाही करती है। वह अपराधी को समय पर खोजने में नाकाम रहती है। जिससे कि उस बच्चे के वापस अपने माता–पिता तक आने की संभावना न के बराबर रहती है और यदि पुलिस वह बच्चा ढूंढती भी है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अपराधी तब तक अपना काम करके वहां से फरार हो चुका होता है। इसके अलावा कई बार तो पुलिस केस दर्ज करने से भी मना कर देती है तथा पीड़ित परिवार को धमकाकर चुप रहने के लिए भी मजबूर कर देती है। सबूतों के अभाव में अक्सर अपराधी बरी हो जाते हैं। उपर्युक्त सभी बातों पुलिस की नाकामी को दर्शाती है। अतः मॉब लिचिंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारणों में यह सबसे प्रमुख है।

**इंडेक्स**

| 2014 से 2018 तक नौ राज्यों के आँकड़े | | |
|---|---|---|
| राज्य | **मरने वालों की संख्या** | **गिरफ्तारी** |
| असम | 15 | 100 |
| झारखंड | 11 | 55 |
| मेघालय | 08 | 00 |
| राजस्थान | 04 | 17 |
| उत्तरप्रदेश | 02 | 22 |
| नागालैंड | 02 | 02 |
| जम्मू–कश्मीर | 01 | 00 |
| त्रिपुरा | 01 | 00 |
| महाराष्ट्र | 01 | 21 |

स्त्रोतः– गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े

**आगे की राह**

अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून की दृष्टि से एक ही माना जाता रहा है। इन दोनों को कानून अलग–अलग परिभाषित करना होगा।

भीड़ द्वारा की गई हत्या की पहचान करनी होगी और फिर उसके बाद उस पर दहेज रोकथाम अधिनियम और पोक्सो एक्ट की तरह एक सख्त और असर दायक कानून बनाना पड़ेगा।

सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रचार से भारत में अफवाहों के प्रचार में तेजी देखी गई है। जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक 40 फीसदी पढ़े–लिखे युवा भी खबर की सच्चाई को नहीं पढ़ते और उसे अग्रसारित कर देते हैं। इस संदर्भ में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है।

**मॉब लिंचिंग से संबंधित कानूनी प्रावधान**

भारतीय दंड संहिता में लिंचिंग जैसी घटनाओं क विरुद्ध कार्रवाही को लेकर किसी तरह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इन्हें धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 323 जानबूझकर घायल करना, 147 व 148 दंगा फसाद, 149 आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना तथा धारा 34 (सामान्य आशय) के तहत ही निपटाया जाता है।

भीड़ द्वारा किसी भी हत्या किए जाने पर आईपीसी की धारा 302 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है और इसी तरह भीड़ द्वारा किसी की हत्या का प्रयास करने पर धारा 307 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है तथा इसी के तहत कार्यवाही की जाती है।

आपराधिक दंड संहिता की धारा 223(ए) में भी इस तरह के अपराध के लिए उपयुक्त कानून के इस्तेमाल की बात कही गई है। सीआरपीसी में भी स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं। इसके बावजूद भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून मौजूद नहीं है।

**क्या है नए कानून की आवश्यकता**

देश में कानून तो पर्याप्त हैं लेकिन उन कानूनों का ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता है। जिससे अपराधों में वृद्धि देखी गई है।

कानूनों का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। कानून का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका की होती है। लेकिन कार्यकारी स्तर पर ही लचकता के कारण इसमें अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होता है।

राजनीतिक हस्तक्षेप और अपराधियों को महा मंडित करने की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों का मनोबल बढ़ता है। अतः नए कानून के आने से इन घटनाओं में शामिल लोगों के मन में कानून को स्थापित किया जा सकेगा।

कानूनों को लागू करने वाले तंत्र में अपेक्षित समर्पण और व्यवसायिक दक्षता की कमी है। पहले

अपराधियों को इस हद तक लाचार कर दिया जाता था कि दोबारा अपराध के लिए साहस नहीं जुटा पाते थे। लेकिन अब प्रशासनिक महकमे में यह कूवत दिखाई नहीं देती।

वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों और समय के हिसाब से भी वर्तमान कानूनों में संशोधन या नए कानूनों की आवश्यकता दिखती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान क्षेत्र में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रकबर व पहलू खान मामले में कहा कि "अब जब इस केस में चालान पेश हुआ है तो हमारा काम यह देखना है कि तफ्तीश किस प्रकार हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया हो ऐसे तत्व जो कानून जोड़ते हैं। गोवंश के नाम पर हत्या कर देते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं और हम ऐसे मुलजिमों को छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वह कोई भी हो"।

**अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान**

संतोष का विषय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया और इस संबंध में प्रभावी कानून बनाने को कहा परिणाम स्वरूप मणिपुर में कानून बन चुका है तथा इस दिशा में ही राज्य की विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल पेश किया जा चुका है।

**30 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान मॉब लिंचिंग संरक्षण विधेयक पेश किया गया है**

**मॉब लिंचिंग के विरुद्ध विधेयक के अंतर्गत प्रावधान**

नए विधेयक में धर्म, जाति, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, समुदाय और जन्म स्थान के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को मॉब लिंचिंग माना गया हैं । इसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति को मॉब की परिभाषा में शामिल किया गया है।

लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर दोषियों को आजीवन कारावास के साथ रुपये 5 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 10 साल तक कठोर कारावास और रुपये 3 लाख तक का जुर्माना, मारपीट पर 7 साल के कठोर कारावास रुपये 1 लाख जुर्माने का प्रावधान।

यदि कोई व्यक्ति समाज में घृणा बढ़ाने वाले संदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करता है तो ऐसे मामलों में भी 5 साल तक का कारावास भुगतना पड़ेगा और रुपये 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा।

इंस्पेक्टर रैंक का अफसर ही लिंचिंग जुड़े मामलों की जांच करेगा। वहीं जिलों में डीएसपी रैंक का ऑफिसर मॉनिटरिंग करेगा।

तुरंत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेंगे। सेशन स्तर के न्यायाधीश ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकेंगे।

बिल में प्रावधान किया गया है कि पीड़ित को 'राजस्थान विक्टिम कंपनसेसन स्कीम' के तहत सहायता दी जाएगी और दोषियों से जो जुर्माना वसूला जाएगा वह भी पीडित को दिया जाएगा।

भारत में मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाने वाले राज्यों में मणिपुर के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान हैं। इस कानून से राजस्थान में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

भारत सरकार को अब कठोर कानून बनाकर इसे प्रत्येक राज्य पर लागु कराना होगा। क्योंकि मॉब लिंचिंग की समस्या एक जिले अथवा राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। इसे सिर्फ प्रशासनिक और वैधानिक जागरूकता के चलते ही रोका जा सकता है। जो समसामयिक स्थिति की मांग भी है। पूरे देश को मॉब लिंचिंग को रोकने हेतु कठोर कानून की आवश्यकता है।

**निष्कर्ष**

विगत वर्षों में हमने देखा है कि कैसे जो टेक्नोलॉजी मानव सभ्यता के लिए वरदान के रूप में मानी गई थी, वही टेक्नोलॉजी कुछ गलत हाथों में पड़ कर अफवाहों तथा गलत खबरों के प्रचार प्रसार में प्रयोग की जा रही है। इसके परिणाम स्वरुप किसी भी मासूम व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हाल के दिनों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर तथा व्हाट्सएप द्वारा चलाई गई झूठी खबरों के कारण की जाने वाली भीड़ हत्या के मामले सामने आए हैं। जेसे मणिपुर और राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध 'लिंचिंग विधेयक संरक्षण बिल' पारित कर कानून बनाया है। वैसे ही पूरे देश में मॉब लिंचिंग हेतू कठोर कानून बनना चाहिए। जिससे मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोका जा सके। जिससे गलत अफवाहों और गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों और मॉब लिंचिंग की घटना को बढ़ाने वालों पर कार्रवाही की जा सकेगी तथा जनता में जागरुकता लाई जा सके।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. *सुप्रीम कोर्ट "हिंसा की इजाजत नहीं दे सकती सरकार", "मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए संसद" द हिंदू भारत, 17 जुलाई 2018*
2. *अर्जुन स्वाति "मॉब लिंचिंग–डिवाइड एंड रुल का सबसे तात्कालिक और नया हथियार" दिल्ली, 19 जुलाई 2018*
3. *उर्मिलेश "लिंचिंग पर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता का मतलब" बीबीसी न्यूज दिल्ली, 2018*
4. *योमचिक मिलन्जना "एज इंडिया मुस्लिम आर लिंचिंग मोदी कीप्स साइलेंस" दिल्ली, जुलाई 2018*
5. *राजस्थान पत्रिका "राजस्थान में मॉब लिंचिंग" जयपुर, जुलाई 2018*
6. *राजस्थान विधानसभा द्वारा "मॉब लिंचिंग" के विरुद्ध बिल पारित. 2019–08–06. "द इण्डिया टूडे", अगस्त 6. 2019.*